राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
नियम अनुभाग

क्रमांकः–प.15(88)वित्त/नियम/2017 जयपुर, दिनांकः– 23 AUG 2024

स्पष्टीकरण

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 की अनुसूची–VI में प्रावधान निम्नानुसार हैः–

If a regular promotion has been offered but was refused by the employee before becoming entitled to a financial upgradation, no financial upgradation shall be allowed as such an employee has not been stagnated due to lack of opportunities. If however, financial upgradation has been allowed due to stagnation and the employee subsequently refuses the promotion, it shall not be a ground to withdraw the financial upgradation. He shall, however, not be eligible to be considered for further financial upgradation till he agrees to be considered for promotion again and the second the next financial upgradation shall also be deferred to the extent of period of deferment due to the refusal.

उपरोक्त प्रावधान के संबंध में पदोन्नति परित्याग किये जाने पर एसीपी/एमएसीपी में वित्तीय उन्नयन कितनी अवधि के लिये आस्थगित की रखा जावे, इस संबंध में विभागों द्वारा मार्गदर्शन चाहा जा रहा है।

अतः उपरोक्त प्रावधान के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्मिक को प्रथमतः जिस रिक्ति की दिनांक से पदोन्नति प्रदान की गई एवं कार्मिक द्वारा पदोन्नति का परित्याग किया गया, उससे कार्मिक द्वारा पुनः पदोन्नति स्वीकार करने के मध्य की अवधि (परित्याग की गई पदोन्नति की रिक्ति की दिनांक से पदोन्नति स्वीकार करने की रिक्ति की दिनांक तक) के बराबर अवधि के लिए आगामी वित्तीय उन्नयन स्थगित रखा जायेगा। ऐसे कार्मिक को उक्त स्थगित रखे गये वित्तीय उन्नयन का वास्तविक लाभ पदोन्नति पुनः स्वीकार कर कार्यग्रहण करने की दिनांक अथवा वित्तीय उन्नयन स्थगन अवधि समाप्त होने पर पुनः पात्रता की दिनांक, जो भी बाद में हो, से देय होगा।

उदाहरणार्थ– किसी कार्मिक की वित्तीय उन्नयन की देयता की दिनांक 12.12.2020 है तथा इस कार्मिक की वित्तीय वर्ष 2019–20 में दिनांक 01.04.2019 की रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति की जाती है तथा यह कार्मिक उक्त पदोन्नति का परित्याग करता है। इस कार्मिक को पुनः पदोन्नति वित्तीय वर्ष 2022–23 में दिनांक 01.04.2022 की रिक्ति के

विरूद्ध दी जाती है एवं कार्मिक द्वारा यह पदोन्नति स्वीकार कर दिनांक 10.05.2024 को कार्यग्रहण कर लेता है। उस कार्मिक को वित्तीय उन्नयन दिनांक 12.12.2023 को देय होगा, किन्तु कार्मिक द्वारा पुनः पदोन्नति पर दिनांक 10.05.2024 को कार्यग्रहण किया गया है। अतः वित्तीय उन्नयन का वास्तविक लाभ दिनांक 10.05.2024 से देय किया जायेगा।

(देबाशीष पृष्टी)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिवगण।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर ।
9. निदेशक, पेंशन एवं पेशंनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर
10. उप निदेशक (सांख्यिकी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
11. समस्त कोषाधिकारी।
12. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय।
13. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–7) विभाग।
14. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग (कम्प्यूटर सैल)।
15. रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।

23/8/24
(एस.ज़ेड़.शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव–।

(RCS(RP)2017 – 02/2024)